न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला देहरादून।
सी0जी0नं0–445 / 2022
श्रीमती हरजिन्दर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर।

अन्तर्गत धारा–323, 504 व 506 भा0द0सं0
थाना–डोईवाला, जिला देहरादून।

दिनांक–10–03–2023

आज कार्यालय द्वारा यह पत्रावली अभियुक्ता श्रीमती दलजीत कौर द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश चौहान, अभियुक्ता के आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्ता द्वारा स्वयं के आधारकार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति एवं वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। **विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्ता की पहचान न्यायालय के समक्ष तस्दीक की गयी।**

चूंकि पत्रावली के अवलोकन से, न्यायालय आदेश दिनांक 13.02.2023 के अनुसार, अभियुक्ता दलजीत कौर को, अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया है तथा अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये जाने पर, इसके विद्वान अधिवक्ता की शिनाख्त पर, श्रीमती हरजिन्दर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर, अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। तद्नुसार अभियुक्ता का वारन्ट तैयार हो।

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।

बादहू।
दिनांक–10–03–2023

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

अभियुक्ता श्रीमती दलजीत कौर की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश चौहान द्वारा अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र, श्रीमती हरजिन्दर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर, अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0, थाना डोईवाला, जिला देहरादून के अपराध में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये जाने पर, श्रीमती हरजिन्दर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर, अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्ता की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र, इस आशय के अभिवाक् के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता निर्दोष है। अभियुक्ता को उक्त परिवाद में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्ता ने उक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई भी घटना कारित नहीं की है। उपरोक्त परिवाद जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्ता जमानत हेतु न्यायालय के आदेशानुसार उचित जमानती व बंधपत्र प्रस्तुत करेगी तथा उपरोक्त मामले की विचारण प्रक्रिया में आवश्यक रूप से स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होती रहेगी। अतः याचना की गयी है कि अभियुक्ता को दौराने वाद जमानत पर रिहा किया जाये।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश चौहान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्ता के ऊपर धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 का अभियोग है। अभियुक्ता ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और वह न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवाद पर आधारित है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत गुण–दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किए बिना अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता श्रीमती दलजीत कौर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्ता को धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत मु0 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं सामान धनराशि के दो समक्ष प्रतिभू न्यायालय के समक्ष पेश करने पर दौराने मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–10–03–2023

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।